रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 20

रक्षा मंत्रालय (विविध)

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	20383.41	20383.41	50.00	24812.96	24862.96	55.00	22364.40	22419.40	70.00	24440.23	24510.23
	पूंजी	***...***	*9673.82*	*9673.82*	*400.00*	*11881.59*	*12281.59*	*248.00*	*10565.92*	*10813.92*	*380.00*	*11242.95*	*11622.95*
	जोड़	**...**	**30057.23**	**30057.23**	**450.00**	**36694.55**	**37144.55**	**303.00**	**32930.32**	**33233.32**	**450.00**	**35683.18**	**36133.18**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	1265.21	1265.21	...	1402.20	1402.20	...	1370.68	1370.68	...	1485.06	1485.06
2. बीआरबीडी-सचिवालय	2052	...	...	...	...	372.57	372.57	...	370.42	370.42	...	509.73	509.73
3. तट रक्षक संगठन	2037	...	1286.78	1286.78	...	1314.00	1314.00	...	1514.00	1514.00	...	1624.41	1624.41
	4047	...	1142.08	1142.08	...	1200.00	1200.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00
	जोड़	*...*	*2428.86*	*2428.86*	*...*	*2514.00*	*2514.00*	*...*	*3014.00*	*3014.00*	*...*	*3124.41*	*3124.41*
4. रक्षा संपदा संगठन	2052	...	390.06	390.06	...	379.25	379.25	...	104.25	104.25	...	114.91	114.91
5. जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री (जेएकेएलआई)	2055	...	969.23	969.23	...	1050.40	1050.40	...	966.08	966.08	...	1210.61	1210.61
6. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण	2014	...	26.47	26.47	...	31.94	31.94	...	29.30	29.30	...	40.10	40.10
विविध सामान्य सेवाएं													
7. कैंटीन स्टोर विभाग													
7.01 राजस्व व्यय													
7.01.01 राजस्व व्यय	2075	...	14199.49	14199.49	...	14799.62	14799.62	...	14229.73	14229.73	...	15000.00	15000.00
7.01.02 घटाइए-प्राप्तियां	0075	...	-13501.72	-13501.72	...	-14924.62	-14924.62	...	-14424.62	-14424.62	...	-15125.00	-15125.00
	कुल	*...*	*697.77*	*697.77*	*...*	*-125.00*	*-125.00*	*...*	*-194.89*	*-194.89*	*...*	*-125.00*	*-125.00*
7.02 पूंजी व्यय	4075	...	1.82	1.82	...	3.30	3.30	...	2.53	2.53	...	2.70	2.70
जोड़- कैंटीन स्टोर विभाग		*...*	*699.59*	*699.59*	*...*	*-121.70*	*-121.70*	*...*	*-192.36*	*-192.36*	*...*	*-122.30*	*-122.30*
आवास													
8. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन भंडार/विभागीय स्टॉफ क्वार्टरों का रखरखाव तथा मरम्मत													
8.01 रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन भंडार/विभागीय स्टॉफ क्वार्टरों का रखरखाव तथा मरम्मत	2216	...	16.62	16.62	...	20.58	20.58	...	16.05	16.05	...	19.68	19.68
8.02 रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन भंडार/विभागीय स्टॉफ को आवासीय सुविधाएं	4216	...	7.57	7.57	...	15.27	15.27	...	11.62	11.62	...	27.20	27.20

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन भंडार/विभागीय स्टॉफ क्वार्टरों का रखरखाव तथा मरम्मत		*...*	*24.19*	*24.19*	*...*	*35.85*	*35.85*	*...*	*27.67*	*27.67*	*...*	*46.88*	*46.88*
9. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	...	...	...	...	...	...	...	...	...	70.00	...	70.00
	5054	...	...	...	...	...	...	...	...	...	380.00	...	380.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*450.00*	*...*	*450.00*
10. बीआरबीडी द्वारा किए जा रहे कार्य													
10.01 बीआरबीडी के अधीन कार्य	5054	...	...	...	360.00	1922.00	2282.00	223.20	1922.00	2145.20	342.00	1922.00	2264.00
10.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान	4552	...	...	...	40.00	...	40.00	24.80	...	24.80	38.00	...	38.00
10.03 केंद्रीय सड़क निधि से पूरी की गई राशि	5054	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-380.00	...	-380.00
10.04 कार्यनीतिक सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	...	...	...	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00	63.00	...	63.00
10.05 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
10.06 केंद्रीय सड़क निधि से पूरी की गई राशि	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-70.00	...	-70.00
10.07 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	...	...	...	736.00	736.00	...	736.00	736.00	...	644.00	644.00
जोड़- बीआरबीडी द्वारा किए जा रहे कार्य		*...*	*...*	*...*	*450.00*	*2658.00*	*3108.00*	*303.00*	*2658.00*	*2961.00*	*...*	*2566.00*	*2566.00*
लोक निर्माण कार्य													
11. लोक निर्माण कार्य													
11.01 रक्षा लेखा/रक्षा संपदा इमारतों का रखरखाव तथा मरम्मत	2059	...	17.99	17.99	...	22.78	22.78	...	17.73	17.73	...	22.35	22.35
11.02 रक्षा लेखा/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र बल न्यायाधिकरण - अन्य भवनों के निर्माण के लिए पूंजी परिव्यय	4059	...	34.16	34.16	...	44.46	44.46	...	26.98	26.98	...	34.73	34.73
जोड़- लोक निर्माण कार्य		*...*	*52.15*	*52.15*	*...*	*67.24*	*67.24*	*...*	*44.71*	*44.71*	*...*	*57.08*	*57.08*
12. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ब्याज सब्सिडी	2852	...	...	...	...	5.90	5.90	...	3.50	3.50	...	4.84	4.84
13. अन्य व्यय													
13.01 मुख्य क्रय निदेशालय के कार्यालय का स्थापना व्यय	2408	...	2.86	2.86	...	3.95	3.95	...	3.95	3.95	...	...	...
13.02 विविध ऋण	7615	...	2.25	2.25	...	3.00	3.00	...	2.40	2.40	...	3.00	3.00
जोड़- अन्य व्यय		*...*	*5.11*	*5.11*	*...*	*6.95*	*6.95*	*...*	*6.35*	*6.35*	*...*	*3.00*	*3.00*
रक्षा आयुध निर्माणियां													
14. निदेशन और प्रशासन	2079	...	99.11	99.11	...	115.48	115.48	...	119.54	119.54	...	130.53	130.53
15. अनुसंधान और विकास	2079	...	55.82	55.82	...	75.00	75.00	...	85.00	85.00	...	67.12	67.12
16. विनिर्माण	2079	...	4961.87	4961.87	...	5563.39	5563.39	...	5565.47	5565.47	...	6513.79	6513.79
17. भण्डार	2079	...	5686.91	5686.91	...	6567.12	6567.12	...	7254.34	7254.34	...	8555.72	8555.72

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
18. अनुरक्षण मशीनरी और उपस्कर	2079	...	30.05	30.05	...	43.84	43.84	...	37.00	37.00	...	35.21	35.21
19. परिवहन	2079	...	126.85	126.85	...	190.56	190.56	...	165.00	165.00	...	161.84	161.84
20. निर्माण कार्य	2079	...	119.05	119.05	...	137.00	137.00	...	137.00	137.00	...	113.29	113.29
21. अन्य व्यय	2079	...	910.59	910.59	...	1163.34	1163.34	...	1163.34	1163.34	...	1105.18	1105.18
22. नवीकरण और प्रतिस्थापन	2079	...	441.87	441.87	...	425.00	425.00	...	425.00	425.00	...	450.00	450.00
23. नवीकरणीय प्रारक्षित निधि को/से अंतरण-नवीकरण प्रारक्षित निधि आयुध निर्माणियां	2079	...	-41.87	-41.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. घटाइए- थल सेना, नौसेना, वायु सेना आदि को की गई आपूर्तियों के लिए वसूलियां	2079	...	-9840.07	-9840.07	...	-9717.57	-9717.57	...	-11747.62	-11747.62	...	-14006.22	-14006.22
25. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0079	...	-1719.32	-1719.32	...	-1678.93	-1678.93	...	-1951.59	-1951.59	...	-1908.85	-1908.85
26. आयुध निर्माणियों पर पूंजी परिव्यय	4076	...	746.19	746.19	...	760.07	760.07	...	500.05	500.05	...	735.68	735.68
जोड़-रक्षा आयुध निर्माणियां		**...**	**1577.05**	**1577.05**	**...**	**3644.30**	**3644.30**	**...**	**1752.53**	**1752.53**	**...**	**1953.29**	**1953.29**
27. सेवा कार्मिकों के वेतन और भत्ते	2080	...	285.35	285.35	...	308.00	308.00	...	308.00	308.00	...	377.00	377.00
28. असैनिकों के वेतन और भत्ते	2080	...	2021.43	2021.43	...	2192.24	2192.24	...	2136.10	2136.10	...	2498.73	2498.73
29. प्रशिक्षण	2080	...	10.26	10.26	...	17.62	17.62	...	17.62	17.62	...	17.89	17.89
30. अनुसंधान/अनुसंधान विकास	2080	...	732.85	732.85	...	869.75	869.75	...	619.09	619.09	...	864.00	864.00
31. परिवहन	2080	...	105.74	105.74	...	157.23	157.23	...	140.00	140.00	...	163.94	163.94
32. भण्डार	2080	...	2062.71	2062.71	...	2124.27	2124.27	...	2124.27	2124.27	...	1828.50	1828.50
33. निर्माण कार्य	2080	...	789.83	789.83	...	727.02	727.02	...	727.02	727.02	...	830.47	830.47
34. अन्य व्यय	2080	...	228.91	228.91	...	238.96	238.96	...	238.96	238.96	...	267.52	267.52
35. घटाइए- राजस्व प्राप्तियां	0080	...	-461.62	-461.62	...	-65.00	-65.00	...	-300.00	-300.00	...	-120.00	-120.00
36. अनुसंधान और विकास पर पूंजी व्यय	4076	...	7482.52	7482.52	...	7788.40	7788.40	...	6480.15	6480.15	...	6865.73	6865.73
जोड़-		**...**	**13257.98**	**13257.98**	**...**	**14358.49**	**14358.49**	**...**	**12491.21**	**12491.21**	**...**	**13593.78**	**13593.78**
37. निरीक्षण गुणवत्ता लेखापरीक्षा महानिदेशक (डीजीक्यूए)	2076	...	819.80	819.80	...	851.04	851.04	...	932.91	932.91	...	1068.10	1068.10
37.01 घटाइए : राजस्व प्राप्तियां	0076	...	-12.07	-12.07	...	-8.00	-8.00	...	-79.50	-79.50	...	-100.00	-100.00
37.02 पूंजी परिव्यय	4076	...	5.46	5.46	...	7.12	7.12	...	7.12	7.12	...	7.27	7.27
जोड़- निरीक्षण गुणवत्ता लेखापरीक्षा महानिदेशक (डीजीक्यूए)		...	*813.19*	*813.19*	...	*850.16*	*850.16*	...	*860.53*	*860.53*	...	*975.37*	*975.37*
38. राष्ट्रीय राइफल्स	2076	...	4967.73	4967.73	...	5453.00	5453.00	...	5453.00	5453.00	...	6234.88	6234.88
	4076	...	244.00	244.00	...	90.97	90.97	...	94.97	94.97	...	101.49	101.49
	जोड़	...	*5211.73*	*5211.73*	...	*5543.97*	*5543.97*	...	*5547.97*	*5547.97*	...	*6336.37*	*6336.37*
39. मिलिटरी फार्म	2076	...	400.52	400.52	...	354.10	354.10	...	326.57	326.57	...	363.51	363.51
39.01 घटाइए : राजस्व प्राप्तियां	0076	...	-11.55	-11.55	...	-8.10	-8.10	...	-8.10	-8.10	...	-8.75	-8.75
39.02 पूंजी परिव्यय	4076	...	0.79	0.79	...	12.00	12.00	...	4.00	4.00	...	12.00	12.00

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- मिलिटरी फार्म		*...*	*389.76*	*389.76*	*...*	*358.00*	*358.00*	*...*	*322.47*	*322.47*	*...*	*366.76*	*366.76*
40. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	2076	...	2236.17	2236.17	...	2639.00	2639.00	...	2609.00	2609.00	...	2363.54	2363.54
40.01 घटाइए : राजस्व प्राप्तियां	0076	...	-261.87	-261.87	...	-153.36	-153.36	...	-153.36	-153.36	...	-165.63	-165.63
40.02 पूंजी परिव्यय	4076	...	6.61	6.61	...	30.00	30.00	...	13.00	13.00	...	30.00	30.00
जोड़- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना		*...*	*1980.91*	*1980.91*	*...*	*2515.64*	*2515.64*	*...*	*2468.64*	*2468.64*	*...*	*2227.91*	*2227.91*
41. नेशनल कैडेट कोर	2076	...	965.37	965.37	...	1016.39	1016.39	...	1083.27	1083.27	...	1188.23	1188.23
	4076	...	0.37	0.37	...	5.00	5.00	...	1.10	1.10	...	1.15	1.15
	जोड़	*...*	*965.74*	*965.74*	*...*	*1021.39*	*1021.39*	*...*	*1084.37*	*1084.37*	*...*	*1189.38*	*1189.38*
कुल जोड़		***...***	***30057.23***	***30057.23***	***450.00***	***36694.55***	***37144.55***	***303.00***	***32930.32***	***33233.32***	***450.00***	***35683.18***	***36133.18***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सड़क एवं पुल	13054	...	...	...	405.00	...	405.00	273.20	...	273.20	405.00	...	405.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	45.00	...	45.00	29.80	...	29.80	45.00	...	45.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**450.00**	**...**	**450.00**	**303.00**	**...**	**303.00**	**450.00**	**...**	**450.00**

टिप्पणी : यह प्रावधान रक्षा आयुध निर्माणियां , अनुसंधान और विकास गुणवत्ता लेखा महानिदेशक (डीजीक्यूए), राष्ट्रीय राइफल, मिलिटरी फॉर्म्स, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और नेशनल कैडिट कोर के राजस्व और पूंजी व्यय से संबंधित है जिसे रक्षा सेवाओं की अनुदान मांगों से इस मांग में शामिल किया गया है।

1. यह प्रावधान रक्षा सचिवालय (अर्थात रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और वित्त प्रभाग तथा रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान) और रक्षा लेखा विभाग पर व्यय के लिए है।

2. यह प्रावधान सीमा सड़क विकास बोर्ड के लिए राजस्व भाग के तहत स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

3. यह प्रावधान तट रक्षक संगठन पर राजस्व और पूंजी व्यय के लिए है।

4. यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्ड के प्रशासन, छावनी के अंदर बाहर की रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा उद्देश्यों के लिए अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और भाड़े पर लेना आदि है, के व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेकेएलआई) जिसे मई 1977 तक जेके मिलिशिया के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण सुसज्जित रेजीमेंट के लिए है।

6. यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) हेतु है।

7.01.01. कैंटीन भंडार विभाग मंत्रालय का एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह देशभर में रक्षा सेवाओं के सदस्यों को रियायती और सस्ते दरों पर घरेलू वस्तुएं और दैनिक जरूरत की अन्य मदें मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। इस शीर्ष के तहत यह प्रावधान नेटवर्किंग व्यय (सकल व्यय से अधिक प्राप्तियां) हेतु है।

7.01.02. कैंटीन भंडार विभाग की राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2015-16 में 14424.62 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2016-17 में 15125 करोड़ रुपए का अनुमान है।

8.01. यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन तथा एएफटी कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव और रक्षा लेखा विभाग एवं रक्षा संपदा संगठन के लिए भवन निर्माण हेतु है।

8.02. यह प्रावधान कैंटीन भवन विभाग, रक्षा लेखा विभाग तथा रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ हेतु आवासीय सुविधाओं के लिए है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के संबंध में तैयार आवासीय और गैर-आवासीय भवन खरीदने और उसके रखरखाव के लिए है।

10. यह प्रावधान बीआरडीबी द्वारा राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में निष्पादित सीमा क्षेत्रों में कतिपय रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए अनुदान सहित सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सड़कों के विकास के लिए है। व्यय केंद्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा।

11.01. यह प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन को अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हेतु है।

11.02. यह प्रावधान पूंजी अनुभाग के तहत रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन और सशस्त्र बल अधिकरणों के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु है।

12. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सब्सिडी देने हेतु प्रावधान है।

13. कैंटीन भंडार विभाग की इकाई कैंटीनों के लिए विविध ऋणों हेतु प्रावधान है।

14 to 26. रक्षा आयुध निर्माणियां : आयुध और वस्त्र निर्माणियां सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने के लिए शस्त्रों, गोलाबारूद, लड़ाकू और परिवहन वाहनों, वस्त्र और अन्य उपस्करों के विनिर्माण हेतु चलाई जाती हैं। ये जब भी संभव हो, असैनिक विभागों, रेलवे और निजी निकायों के लिए भुगतान पर कार्य करके अपनी क्षमता का प्रयोग करती हैं, किए गए कार्यों के लिए वसूलियां की जाती हैं। इस प्रकार के कार्य संबंधी अनुमानित प्राप्तियां प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाई जाती हैं।

प्रावधान का ब्यौरा निदेशन और प्रशासन (ओएफबी मुख्या) विनिर्माण (निर्माणी के सभी कर्मचारियों को वेतन और भत्ता) अनुरक्षण-मशीनरी और उपस्कर, भंडार, परिवहन आदि के अंतर्गत है।

आयुध निर्माणियों से सेना, नौसेना, वायुसेना इत्यादि को की जाने वाली आपूर्तियों की लागत का प्रावधान इन सेवाओं के अनुमान में किया जाता है। आयुध निर्माणियों द्वारा वसूल की गई राशि सेना, नौसेना और वायुसेना इत्यादि को की गई आपूर्तियों के लिए घटाइए - वसूलियां के रूप में प्रदर्शित की जाती है।

27 to 36. अनुसंधान और विकास : यह प्रावधान वेतन और भत्ता, यात्रा व्यय, आईटी व्यय, प्रशिक्षण, भंडार, निर्माण कार्य, परिवहन और अन्य विविध व्ययों के लिए है। इसमें परियोजनाओं और भवन, तकनीकी काम्प्लेक्स जैसे असैनिक कार्यों के लिए उपस्कर/तकनीकी भंडार हेतु प्रापण और सुविधाओं के सृजन के लिए है।

37. गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय भारतीय सेना और नौसेना द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रक्षा भंडारों के गुणवत्ता आवश्वासन हेतु उत्तरदायी है जिन्हें रक्षा निर्माणियों, सरकारी और निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किए जाने के लिए प्राप्त किया जाता है कि देश को सभी प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्कर और वांछित गुणवत्ता और विश्वसनीयता के भंडार प्राप्त हो सके जिससे कि सेना बलों की लड़ने की क्षमता और कारगरता बढ़ाई जा सके। इस प्रावधान में भूमि और निर्माण कार्यों पर वहन किया गया व्यय भी शामिल है।

38. राष्ट्रीय राइफल को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अर्ध-सैनिक बल के रूप में स्थापित किया गया है और यह सेना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रचालनरत है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में वेतन एवं भत्ता, राशन, तेल और स्नेहक, परिवहन, आकस्मिक देयताएं, आवास पर व्यय शामिल है। इसमें उपस्करों, हथियारों, गोलाबारूद, वाहनों, वस्त्रों और आईटी से संबंधित परियोजनाओं की लागत भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय राइफल के निर्माण कार्यों का व्यय भी शामिल है।

39. मिलिटरी फॉर्म्स मुख्यत:,सशस्त्र बलों को शुद्ध डेयरी उत्पाद तथा सेना द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जानवरों के लिए चारा मुहैया कराने के लिए होते हैं, ये ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां नागरी स्रोतों से इनकी उपलब्धता नहीं होती। बलों को मुहैया कराने के लिए कतिपय स्टेशनों पर सब्जियां भी पैदा की जाती हैं। मिलिटरी फॉर्मों का पूंजी व्यय पशुधन और कार्य व्यय के अतिरिक्त अथवा उसके बिना संयंत्रों और मशीनरी की लागत से संबंधित है।

40. इस शीर्ष (ईसीएचएस) के अंतर्गत प्रावधान में भूतपूर्व सैनिकों जिनमें परिवार पेंशनधारियों के साथ-साथ उन पर आश्रित जिनमें पत्नी/पति, वैध बच्चे और पूर्णत:, आश्रित माता-पिता शामिल हैं, को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने पर किया गया व्यय शामिल है। ईसीएचएस का एक अंशदायी योजना है। सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक सैनिक एक बारगी अंशदान करके ईसीएचएस का सदस्य बनेगा। इस योजना में देश में विभिन्न सैनिक और गैर-सैनिक स्टेशनों में नए पाली क्लिनिक स्थापित करके भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसमें ईसीएचएस संगठन के लिए भूमि का क्रय, भवन निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद सहित आवश्यक परिसंपत्तियों/अवंसरचना के प्रापण पर पूंजी व्यय के लिए भी प्रावधान शामिल है।

41. नेशनल कैडेट कोर जिसे 16 जुलाई, 1948 को स्थापित किया गया था, विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। कोर अपने बहुआयामी कार्यक्रमों के जरिए अपने युवा कैडेट को जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनाता है और इस विपुल ऊर्जा को देश निर्माण की ओर मोड़ता है। एनसीसी केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है और इस प्रकार इसका दोहरा वित्तपोषण पैटर्न है जिसमें केंद्र और राज्य व्यय उठाते हैं। यह प्रावधान सेवा कर्मियों, असैनिक कार्मिकों तथा एनसीसी के अधिकारियों के वेतन और भत्ते, परिवहन व्यय, कार्यालय, उपस्कर, वाहन तथा वस्त्र और प्रशिक्षण के लिए है। इसमें एनसीसी का पूंजी व्यय शामिल है।